OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews

https://linktr.ee/mediacellbahraich

रेप व पाक्सो में दोषसिद्ध को बीस वर्ष की सजा हुई

अदालत से

60 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

बहराइच। सुजौली के चहलवा गांव निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 70 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

थाना सुजौली के एक गांव निवासी पिता 11 दिसंबर 2017 को तहरीर देकर चहलवा गांव निवासी श्याम सुंदर पर उसकी 17 वर्षीय बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)

BAHRAICH POLICE

24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich